(11)

गुरूरतन सिंह उर्फ चटरू सिंह पिता स्व0 लालगजाधर सिंह उम्र 67 वर्ष पेशा कृषि निवासी कृपालपुर सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0...रेस्पांडेन्ट/निगराकार

बनाम

यशवर्धन सिंह पिता स्व0 प्रशांत सिंह उम्र 5 वर्ष नाबालिग जरिये बली सरपरस्त माता श्रीमती रूपा सिंह पत्नी स्व0 प्रशांत सिंह निवासी कृपालपुर सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0... ....अपीलांट/गैरनिगराकार

श्री मुकेश भार्गव एडवोकेट द्वारा आज दि. 6-10-16 को प्रस्तुत

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 24/8/2016 प्रकरण क्रमांक 115अ 74/2015–16 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0

अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता

मुकेश भार्गव 6-10-16 एडवोकेट ग्वालियर

मान्यवर,

निगराकार/रेस्पांडेन्ट निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है:–

निगरानी के संक्षिप्त तथ्यः–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट/गैरनिगराकार के द्वारा एक अपील मौजा क्रृपालपुर तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 की आराजी नं0 440, 441,442, 445/2,457,448,459,460 एवं आराजी नं0 265/1 तथा 267/1/ख के संबंध मे नामांतरण पंजी क0 216 आदेश दिनांक 08/07/2015 के विरूद्व प्रस्तुत करते हुए उक्त अपील मे यह उल्लेख किये थे कि उपरोक्त लिखित आराजी अपीलांट के पिता स्व0 प्रशांत सिंह के नाम थी जिनकी मृत्यु दिनांक 09/08/2015 को हो चुकी है। प्रशांत सिंह की मृत्यु के उपरांत उनके बाबा निगराकार/रेस्पांडेन्ट ने नाबालिक यशवर्धन सिंह के नाम के आंगे बली सरपरस्त के रूप मे अपना नाम दर्ज करवा लिये है। इसलिए उक्त नामांतरण पंजी क0 216 आदेश दिनांक 08/07/2015 को

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3529-दो/2016 जिला सतना

गुरूरतन विरूद्ध यशवर्धन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-04-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील रघुराजगनर जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 115/अ-74/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 24-08-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. यह प्रकरण दिनांक 20-06-2019 को कलेक्टर जिला सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे । (बी.एम.शर्मा) सदस्य	